रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062021-227894 CG-DL-E-25062021-227894

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2390] No. 2390] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ़ 4, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

का.आ. 2581(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 85/2020, तारीख 27 अक्तूबर, 2020 में, जो संख्यांक का.आ. 3874(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

# उक्त अधिसूचना में,-

- (i) खंड (ख) में, "30 जून, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "31 अगस्त, 2021" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) खंड (ग) में, "1 जुलाई, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "1 सितम्बर, 2021" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ;-

3529 GI/2021 (1)

"(घ) 31 अक्तूबर, 2021, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (1) के अधीन अंतिम तारीख होगी।"।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं.75/2021/फा. सं. आईटी(ए)/01/2020-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव (कर नीति व विधान)

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3847(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4804(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2020 द्वारा संशोधित की गई और 31 अक्तूबर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 471(अ), तारीख 31 फरवरी, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 31 जनवरी, 2021 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 964(अ), तारीख 26 परवरी, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में 26 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1704(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 27 अप्रैल, 2021 को प्रकाशित की गई थी।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2021

**S.O. 2581(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 (3 of 2020), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue), number 85/2020, dated the 27thOctober, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection (ii), *vide* number S.O. 3874(E), dated 27th October, 2020, namely:—

In the said notification,—

- (i) in clause (b), for the figures, letters and words "30th day of June, 2021", the figures, letters and words "31st day of August, 2021" shall be substituted;
- (ii) in clause (c), for the figures, letters and words "1st day of July, 2021", the figures, letters and words "1st day of September, 2021" shall be substituted;
- (iii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: —"(d) 31st day of October, 2021 shall be the last date under clause (l) of sub-section (1) of section 2 of the said Act.".
- 2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 75/2021/F.No.IT(A)/01/2020-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation Division

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section-3, Sub Section (ii) *vide* S.O. 3847(E), dated 27th October, 2020 and was subsequently amended *vide* notification number S.O.4804(E) dated 31st December, 2020 published in the Gazette of India, Extrordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 31st December, 2020 and notification number S.O.471(E), dated 31st January, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 31st January, 2021 and notification number S.O.964 (E),

dated 26th February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection (ii) dated the 26th February, 2021 and notification number S.O.1704(E) dated 27th April, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) dated the 27th April, 2021.